

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या—158 / 2015

आदेश दिनांक:—

18.08.2021

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:—

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी:—

श्री आलोक गर्ग

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :—

मि. गायत्री राठौड़

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने जाहिर किया कि उन्होंने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है व उसकी प्रति योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी को उपलब्ध करा दी गई है ।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने जाहिर किया कि वे उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. की सुनवायी अपील के साथ ही किए जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र को पत्रावली में संलग्न कर पत्रावली वास्ते ग्रहणार्थ दिनांक 31.08.2021 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे, तब तक अन्तरिम आदेश यदि कोई हो तो वह प्रभावी रहेगा ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)